

एचआईवी/एड्स अधिनियम, 2017 को लागू करने हेतु अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ह्यूमन इम्यूनो डेफेंसिवी एचआईवी वायरस तथा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफेंसिवी सिंड्रोम (नविवरण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 को 10 सितंबर, 2018 से लागू करने के लिये अधिसूचना जारी की है।

अधिनियम का उद्देश्य

- इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी के शिकार और इससे प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों में एचआईवी से संबंधित भेदभाव, कानूनी दायित्व को शामिल करके वर्तमान कार्यक्रम को मज़बूत बनाना तथा शिकायतों और शिकायत नविवरण के लिये औपचारिक व्यवस्था करना है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स का नविवरण और नियंत्रण, एचआईवी तथा एड्स के शिकार व्यक्तियों के साथ भेदभाव का नषिध है।

प्रमुख बढि

- इस अधिनियम में रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा की प्राप्ति के लिये पूर्व शर्त के रूप में एचआईवी परीक्षण का नषिध कथिा गया है।
- 18 वर्ष से कम आयु के एचआईवी के शिकार और प्रभावित प्रत्येक व्यक्तिको घर में साझा रूप से रहने तथा धरेलू की सुवधिएँ लेने का अधिकार है।
- इस अधिनियम में एचआईवी पॉज़िटिवि व्यक्तियों के साथ भेदभाव के वभिन्न आधारों की सूची दी गई है जिनके आधार पर भेदभाव का नषिध कथिा गया है। इनमें शामिल हैं - (i) रोजगार, (ii) शकिषण संस्थान, (iii) स्वास्थ्य सेवाएँ, (iv) आवास या संपत्तिकिरिए पर देना (v) सावरजनकि और नजिी पद के लिये उम्मीदवारी (vi) बीमा प्रावधान से संबंधित इनकार, समाप्ति, अनरितरता और अनुचति व्यवहार।
- नोट: **मशिन 2030** वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक उच्च स्तरीय सभा में भारत ने एचआईवी/एड्स को सारवजनकि स्वास्थ्य के लिये खतरे के रूप में प्रस्तुत करते हुए अगले पाँच सालों में इसके संबंध में तेज़ गति से कार्यवाही करने और वर्ष 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने का वचन दथिा है।
- इस अधिनियम में एचआईवी पॉज़िटिवि लोगों के बारे में गलत सूचना और घृणा भाव फैलाने के लिये कसिी व्यक्ती द्वारा इस संबंध में कसिी प्रकार के प्रकाशन पर नषिध है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 12 से 18 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्तिको में एचआईवी या एड्स से प्रभावित परिवार के कार्यो को समझने और उनका प्रबंधन करने के लिये पर्याप्त परपिक्वता होती है और ऐसा व्यक्ती शकिषण संस्थान में नामांकन, बैंक खाता प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, चकितिसा और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में 18 वर्ष से कम आयु के अपने भाई-बहन के अभभावक के रूप में कार्य करने के लिये सक्षम होगा।
- इसके अलावा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य की देख-रेख में रह रहे प्रत्येक व्यक्तिको एचआईवी नविवरण, परीक्षण, इलाज और परामरश सेवा का अधिकार होगा।